भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या(2347

दिनांक 03.12.2019/12अग्रहायण, 1941 (शक) को उत्तजर के लिए

छात्रों द्वारा आत्महत्याएं

†2347. श्री बंदी संजय कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने परिणामों में विसंगतियों के कारण तेलंगाना राज्य में +2 के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं संबंधी कोई रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिणाम तैयार करने में त्रुटियां करने वाले दोषियों की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तघर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): जी , हाँ। इस संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगाई गई थी। इसके उत्तर में, तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि उक्त मामले की जांच करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने यह पाया है कि एप्लिकेशन स्यूट के अपर्याप्त विकास, तैयारी और परीक्षण के कारण परीक्षा परिणाम में त्रुटियाँ हुई थीं। तथापि, इसकी मात्रा, पैमाना और प्रकृति पूरे परिणाम को निष्फल नहीं बनाती है। समिति ने यह टिप्पणी भी की है कि गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 के दौरान पास होने की प्रतिशतता में कोई ख़ास अंतर नहीं देखा गया है।

तेलंगाना राज्य इन्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित समिति के निर्देश के अनुसार, आत्महत्या करने वाले अथवा आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थी जिन विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए

थे, उनकी 53 उत्तर पुस्तिकाओं का विषय विशेषज्ञों द्वारा पुनःसत्यापन किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि पुनःसत्यापन के बाद भी उनके परिणाम की स्थिति में अनु त्तीर्ण से उत्तीर्ण के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, समिति ने त्रुटियों, यदि कोई हों, को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने और छात्रों एवं उनके माता-पिता के मन में भरोसा उत्पन्न करने का सुझाव भी दिया है । तेलंगाना सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में क्रमशः एक जन हित याचिका (पीआईएल) और एक रिट याचिका (सिविल) दायर की गई थी और वे दोनों ही खारिज कर दी गई थीं।

*****